

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

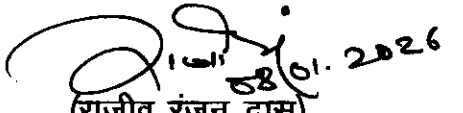
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-12.01.26

संख्या-12/निजी-70014/2023 सा0प्र0- 123 /श्रीमती रोचना माद्री, बि0प्र0से0 (को0क्र0-579/24), वरीय उप समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उनके द्वितीय संतान के जन्म हेतु विभागीय अधिसूचना सं0-12311, दिनांक-07.07.2025 के द्वारा दिनांक-21.06.2025 से दिनांक-17.12.2025 तक कुल-180 दिनों की पूर्व से स्वीकृत मातृत्व छुट्टी के क्रम में उनके द्वितीय संतान की देख-भाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-18.12.2025 से दिनांक-14.02.2026 तक कुल-59 (उनसठ) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपभोग के उपरांत श्रीमती माद्री के पक्ष में 627-59=568 (पांच सौ अड़सठ) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी आदेय होगी।
3. श्रीमती माद्री को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-10.12.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70014/2023 सा0प्र0- 123 /पटना, दिनांक-12.01.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उनके पत्रांक-288/स्था0, दिनांक-15.12.2025 के प्रसंग में/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रोचना माद्री, बि0प्र0से0 (को0क्र0-579/24), वरीय उप समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।